



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2551]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2014/अग्रहायण 24, 1936

No. 2551]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2014/AGRAHAYANA 24, 1936

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3185(अ).—जबकि मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड, एअरबस ए320 विमान वीटी-ईएसआई दिनांक 21.08.2014 को अनुसूचित उड़ान एआई-047 कोचीन से दिल्ली जाने के दौरान कोचीन में गंभीर रूप से घटनाग्रस्त हो गया।

और जबकि, केन्द्र सरकार को प्रतीत होता है कि इसकी जांच करना और इस गंभीर घटना के कारकों एवं मुख्य सहायक कारकों को सुनिश्चित करना और ऐसी सिफारिशें करना समीचीन है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

अब, केन्द्र सरकार वायुयान (घटनाओं और दुर्घटनाओं की जांच) नियमावली, 2012 के नियम 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपर्युक्त गंभीर घटना की औपचारिक जांच किए जाने का निदेश देती है।

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों सहित श्री मुकेश, उप प्रमुख, उड़ान संरक्षा, इंडिगो एअरलाइन की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की है:—

- (i) श्री राजे भटनागर, सहायक निदेशक (एडब्ल्यू), एएआईबी
- (ii) श्री के. रामचन्द्रन, हवाई संरक्षा अधिकारी, एएआईबी

समिति आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अपनी जांच-पड़ताल पूरी कर इसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को तीन महीने के भीतर सुपुर्द करेगी।

[सं. एवी.15018/22/2014-डीजी]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2014

S.O. 3185(E).—Whereas M/s. Air India Ltd., Airbus A320 aircraft VT-ESI was involved in a serious incident at Cochin on 21.08.2014 while carrying out a scheduled flight AI-047 from Cochin to Delhi.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry of the said serious incident be held.

The Central Government is pleased to appoint a Committee of Inquiry headed by Shri Mukesh, Dy. Chief of Flight Safety, Indigo Airlines, with the following members:

- (i) Shri Raje Bhatnagar, Asst. Director, (AW), AAIB
- (ii) Shri K. Ramachandran, Air Safety Officer, AAIB

The Committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within three months.

[No. AV.15018/22/2014-DG]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.